

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-16/09

/खाद्य,पटना/दिनांक-

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 710 दिनांक- 02.02.2011 एवं पत्रांक- 877 दिनांक- 09.02.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान की नई अनुज्ञप्ति व्यक्ति विशेष को (अनुकम्पा मामले सहित) निर्गत करने पर रोक लगाई गई है । इस संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि पैक्स/स्वयं सहायता समूह एवं अनुकम्पा के मामले में उक्त आदेश प्रभावी नहीं समझा जायेगा । इस प्रकार तत्काल पैक्स/स्वयं सहायता समूह एवं अनुकम्पा के मामले ही जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-16/09 1078 /खाद्य,पटना/दिनांक- 22-02-2011

प्रतिलिपि- श्रीकान्त लाभ, महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, कार्यालय- भिखना पहाड़ी, पटना- 4 प्रधान कार्यालय- उड़ान टोला, न्यू बाईपास, अनिसाबाद, पटना- 2 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।